

**एफ.1/118(22)/2021-भ.IV**

**संघ लोक सेवा आयोग**

**भर्ती IV अनुभाग**

पद का नाम	जनजातीय कार्य मंत्रालय में अनुसंधान अधिकारी के पद की एक (01) रिक्ति।
विज्ञापन सं.	01/2022
रिक्ति सं.	22010110408

- इस भर्ती मामले की संवीक्षा तथा लघुसूची तैयार करने संबंधी विवरण पहले दिनांक 11.11.2022 को आयोग की वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे।
- उम्मीदवारों को दिनांक 25.11.2022 तक अपने अभ्यावेदन ई-मेल के माध्यम से प्रस्तुत करने का विकल्प दिया गया था।
- यह भी उल्लेख किया गया था कि सभी ई-मेल की जांच की जाएगी लेकिन उनमें से किसी का भी जवाब नहीं दिया जाएगा जैसा कि पहले बताया गया है। आगे यह आश्वासन दिया गया कि संशोधित जांच और शॉर्टलिस्टिंग विवरण नियत समय में अपलोड किए जाएंगे।
- 12 आवेदकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। उन सभी की जांच की गई है।
- 07 आवेदकों ने "अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र" श्रेणी के तहत एवं 04 आवेदकों ने "विचार क्षेत्र से बाहर" श्रेणी के तहत और 01 आवेदक ने "एलईक्यू-बी" श्रेणी के तहत अपनी अस्वीकृति के खिलाफ अभ्यावेदन भेजा है। 06 आवेदकों की अस्वीकृति को "अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र" श्रेणी से "एलईक्यू-बी" श्रेणी में बदला गया है। अन्य की अस्वीकृति को बरकरार रखा गया है।
- तदनुसार, शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों की सूची में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

लघु सूचीबद्ध करने हेतु अपनाए गए मानदंड	अनारक्षित	अ.यो-क + अ.यो-ख को 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष या अधिक किया गया
	अ.पि.व	-
	अ.जा.	-
	अ.ज.जा.	-
	पीडब्ल्यूबीडी	-
लघु सूचीबद्ध किए गए उम्मीदवारों के अनुक्रमांक	अनुक्रमांक	07, 22, 24, 44, 69, 195, 198, 205, 220, 260 एवं 280. (11 उम्मीदवार)

**अस्वीकृति के मामले**

उन उम्मीदवारों के अनुक्रमांक जिन्हें लघु-सूचीबद्ध नहीं किया गया है।	अस्वीकृति की श्रेणी	अनुक्रमांक
	एलईक्यू -क	151 एवं 222. (02 उम्मीदवार)
	एलईक्यू - ख	04, 28, 34, 43, 51, 56, 62, 67, 77, 96, 100, 102, 106, 114, 134, 136, 137, 142, 167, 168, 171, 190, 199, 201, 202, 208, 249, 256, 262, 267, 274 एवं 277. (32 उम्मीदवार)
	अधिक आयु	26, 47 एवं 72. (03 उम्मीदवार)
	एलईसी	83 एवं 121 (02 उम्मीदवार)
<b>अपूर्ण</b>		
अपूर्ण अनुभव प्रमाण-पत्र	अनुभव प्रमाण-पत्र के बिना	मांगे गए दस्तावेज जमा नहीं किए गए
23, 30, 39, 46, 75, 78,	70, 92 एवं 98	235

*सिमा*

128, 139, 149, 155, 169, 170, 180, 231, 243, 258, 263, 264 एवं 273. (19 उम्मीदवार)	(03 उम्मीदवार)	(01 उम्मीदवार)
विचार क्षेत्र से बाहर	शेष 208 उम्मीदवार कम अनुभव वाले हैं।	

अपनाए गए मानदंड	<p>(i) संवीक्षा, उम्मीदवारों द्वारा उनके ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी के अनुसार तथा इसके साथ अपलोड किए गए समर्थक दस्तावेजों के अनुरूप कंप्यूटर प्रणाली द्वारा जनरेट की गई रिपोर्ट के आधार पर की गई है।</p> <p>(ii) उम्मीदवार के ऑनलाइन आवेदन में उल्लिखित संपूर्ण अनुभव अवधि पर विचार किया गया है।</p> <p>(iii) संवीक्षा हेतु अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसका उल्लेख ऑनलाइन भर्ती आवेदन (ओआरए) में किया गया है और ओआरए के अनुभव संबंधी कॉलम में अनुभव अवधि का उल्लेख किए बिना संलग्न किए गए प्रमाण-पत्रों पर विचार नहीं किया गया है।</p> <p>(iv) आवेदनों की संवीक्षा के दौरान आर्थिक विकास या सामाजिक सेवा या अनुसूचित जनजाति कल्याण या सामाजिक क्षेत्रीय कार्यक्रम का कार्यान्वयन या जनजातीय विकास कार्यक्रम और सांख्यिकीय डाटा संकलन एवं विश्लेषण के क्षेत्र में अनुसंधान या प्रशिक्षण या योजना तैयार करने संबंधी अनुभव पर विचार किया गया है।</p> <p>(v) अनुभव की अवधि को 3 वर्ष से बढ़ाकर 7 वर्ष या अधिक किया गया है।</p> <p>(vi) भर्ती (समन्वय एवं नीति) के परिपत्र सं. फा.8/84/2010-भर्ती (समन्वय एवं नीति) दिनांक 23.12.2010 के अनुसार, अनुभव प्रमाण-पत्र विहित प्रोफार्मा में होने चाहिए। तथापि, आवेदकों द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में अनुभव प्रमाण-पत्र जमा नहीं किए जाने पर भी ऐसे प्रमाण-पत्र पर मेरिट के आधार पर विचार किया गया है। परन्तु जिन्होंने किसी अनुबंध का उल्लेख किया हो और उसे प्रस्तुत नहीं किया हो, उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(vii) नियुक्ति पत्र, कार्यालय आदेश, त्याग-पत्र, वेतन प्रमाण-पत्र, सेवा प्रमाण-पत्र तथा स्वयं उम्मीदवारों द्वारा सत्यापित प्रमाण-पत्र अथवा रोजगार प्रमाण-पत्र को अनुभव प्रमाण-पत्र के तौर पर विचार नहीं किया गया है। ऐसे उम्मीदवारों को भी संगत अनुभव में कमी की श्रेणी में विचार किया गया है परन्तु उनके आवेदन को 'अपूर्ण' श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>(viii) जिन अनुभव प्रमाण-पत्रों में कार्यों के स्वरूप का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है उनपर विचार किए बिना अस्वीकार किया गया है। इसी प्रकार, जिन आवेदकों ने संगत अनुभव का दावा किया है, परन्तु इस दावे के समर्थन में जमा किया गया अनुभव प्रमाण-पत्र संपूर्ण अवधि का नहीं है अथवा उनके दावे का समर्थन नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में आवेदनों को अस्वीकार कर दिया गया है। संगत अनुभव की केवल उस अवधि पर विचार किया गया है, जिसके लिए अपेक्षित/संगत अनुभव उल्लिखित अनुभव प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>(ix) कुछ उम्मीदवारों को एक से अधिक श्रेणी के अंतर्गत अस्वीकार किया जा सकता है। उन्हें सर्वाधिक उपयुक्त श्रेणी के तहत अस्वीकार किया गया है।</p> <p>नोट:- आयोग द्वारा मानदंडों का निर्धारण, प्रत्येक मामले के आधार पर किया जाता है।</p>
-----------------	---

**संकेतक:**

- एलईक्यू-क - अनिवार्य योग्यता-कमें कमी
- एलईक्यू-ख - अनिवार्य योग्यता-ख में कमी
- एलईसी - बढ़ाए गए मानदंड में कमी



उप सचिव (भ.IV)

विवरण के अंग्रेजी और हिंदी संस्करण के बीच अंतर के मामले में अंग्रेजी संस्करण लागू होगा।